

## न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म.प्र.)

### संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश

क्रमांक- 232 / 2020

उज्जैन, दिनांक-24 / 05 / 2020


मैं श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन पूर्व में पारित आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 62/2020 दिनांक 06/01/2020 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार क्षेत्राधिकार की स्थानीय परिसीमाएं निश्चित करती हूँ :-


यह आदेश 24 मई, 2020 से प्रभावशील होगा।

| क्र | न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम | स्थानीय क्षेत्र  | कार्य का विवरण   |
|-----|----------------------------------|--|--|
| 1   | मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन | जिला उज्जैन, देवास एवं शाजापुर<br><br>तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल)<br><br>तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया<br><br>तहसील उज्जैन (ग्रामीण, शहरी, कोठी महल) एवं घट्टिया | 1- माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार आर्थिक अपराधों से संबंधित आपराधिक प्रकरण।<br><br>2- निम्नलिखित पुलिस थाना की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय के श्रवणाधिकार में आने वाले प्रकरणों, परिवाद पत्रों एवं महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त आपराधिक प्रकरण :-<br>1- माधवनगर<br>2- नानाखेड़ा<br>3- नरवर<br>4- आबकारी विभाग<br>5- यातायात<br>6- एस.टी.एफ. थाना भोपाल की उज्जैन इकाई<br><br>3- आयकर अधिनियम, ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम(पाबंदी) अधिनियम 1978, नापतौल अधिनियम 1983, म.प्र. सिनेमा(रेग्यूलेशन) एक्ट 1952, कॉपी राईट एक्ट 1957, प्रदूषण निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।<br><br>4- ऐसे समस्त प्रकरण जो विशेष अधिनियम से उत्पन्न हुए हो, जिनका उल्लेख पृथक से अपेक्षित होते हुए, आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, या जिनके अधीन अपराध के विचारण |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | तहसील उज्जैन<br>(ग्रामीण, शहरी,<br>कोठी महल) एवं<br>घट्टिया | का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक<br>मजिस्ट्रेट को ही है।  |
|  | तहसील उज्जैन<br>(ग्रामीण, शहरी,<br>कोठी महल) एवं<br>घट्टिया | 5- म.प्र. शासन द्वारा प्रस्तुत खाद्य<br>अपमिश्रण निवारण अधिनियम के<br>प्रकरण।   |
|  | तहसील उज्जैन<br>(ग्रामीण, शहरी,<br>कोठी महल) एवं<br>घट्टिया | 6- नगर पालिका निगम<br>अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने<br>वाले समस्त प्रकरण एवं<br>कार्यवाहियां।   |
|  | तहसील उज्जैन<br>(ग्रामीण, शहरी,<br>कोठी महल) एवं<br>घट्टिया | 7- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल<br>अधिनियम 2017 की समस्त<br>कार्यवाहियां।  |
|  | तहसील उज्जैन<br>(ग्रामीण, शहरी,<br>कोठी महल) एवं<br>घट्टिया | 8- श्रम आयुक्त कार्यालय उज्जैन<br>से उत्पन्न होने वाले समस्त<br>आपराधिक प्रकरण एवं विभिन्न<br>श्रम अधिनियम से संबंधित<br>प्रकरण।  |
|  | जिला उज्जैन   | 9- सी0जी0एस0टी0 एक्ट से<br>संबंधित प्रकरण/परिवाद।   |
|  | जिला उज्जैन   | 10- माननीय सत्र न्यायाधीश<br>महोदय द्वारा समय समय पर<br>अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियां।   |
| 9. श्रीमती शिवांगी श्रीवास्तव,<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम<br>श्रेणी, उज्जैन | तहसील उज्जैन एवं<br>घट्टिया                                 | 1- तहसील उज्जैन एवं घट्टिया<br>सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले<br>द्वारा 138 परकाम्य लिखत<br>अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने<br>वाले ऐसे प्रकरण जिनका मूल्य<br>रुपये 3,00,001/- से रुपये<br>5,00,000/- तक है। |
|  | जिला उज्जैन   | 2- माननीय सत्र न्यायाधीश<br>महोदय एवं मुख्य न्यायिक<br>मजिस्ट्रेट, द्वारा समय समय पर<br>अंतरित प्रकरण एवं कार्यवाहियां।   |

अनुमोदित।

  
(एस0क0पी0 कुलकर्णी)  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म0प्र0)

  
(श्रीमती प्रमि पाण्डेय)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उज्जैन (म0प्र0)


प्रतिलिपि :-

क्रमांक- 232/2020

उज्जैन, दिनांक-24/05/2020

- 1- माननीय उच्च न्यायालय म0 प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक डी/3175/तीन-10-48  
/98 जबलपुर दिनांक 09-सितम्बर-2009 के पालन मे सादर प्रेषित।
- 2- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

- 3- माननीय श्री/श्रीमती ..... अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 4- श्री/श्रीमती/कु. .... ए.सी.जे.एम. /जे.एम.एफ.सी.उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
- 5- अध्यक्ष अभिभाषक संघ उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 6- जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन की ओर इस निर्देश के साथ कि जिले के समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करें।
- 7- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण जिला उज्जैन को ई.मेल द्वारा सूचित करने हेतु सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित ।

  
(श्रीमती तृप्ति पाण्डेय)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उज्जैन (म0प्र0)